न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 798/2017
GCMS : 2017/00224

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. पन्नेसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति कलाल, निवासी– सेवरिया हाल निवासी संजयनगर बालकनाथ स्कूल के पास वार्ड संख्या 31 गली नम्बर 2 ब्यावर, जिला अजमेर, राज0।		1. राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाति– कलाल, निवासी– सेवरिया, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0। 2. पुखराज पुत्र रामचन्द्र जाति– कलाल, निवासी– सेवरिया, हाल निवासी– मकान नम्बर 181 वार्ड संख्या 33 गली नम्बर एक चांग चिताड़ रोड़ सुभाष नगर ब्यावर जिला अजमेर राज0। 3. तहसीलदार जैतारण एवं उपपंजियन अधिकारी जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजूः 05/06/2017**

उपस्थितः. 1. श्री भाकर सिंह भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री ओगड़राम कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः 04/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील– जैतारण, जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0 नम्बर 1312 रकबा 03–09 बीघा किस्म बारानी दोयम व ख0न0 1335/2 रकबा 20–02 बीघा किस्म बारानी किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 02 रकबा 23–11 बिस्वा वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। जिस पर सायल एवं गैरसायलान् अपने अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। नकल वर्तमान जमाबन्दी [illegible] है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि मे सायल का 1/3 [illegible] तथा गैरसायल संख्या एक व दो का भी 1/3, 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है एवं इसी हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर बिना किसी [illegible] तरीके से काश्त कार्य करते एवं भूमि का उपयोग उपभोग अपने अपने हक [illegible] से अनुसार करते चले आ रहे है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे वर्णित कृषि भूमि में सायल के पिता रामचन्द्र ने एक चाहा (कुआ) का भी निर्माण करवाया जिसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में अंकित नही है। जिसका उपयोग उपभोग उक्त भूमि की सिंचाई हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायल एवं गैरसायल संख्या एक व दो अपने अपने हक हिस्से अनुसार करते चले आ रहे है तथा उक्त मौके पर स्थित कुए का इन्द्राज राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने का वादी कानूनी रूप से अधिकारी है। विवादित आराजी सायल एवं गैरसायलान् की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त व सामलाती खातेदारी मे दर्ज है तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजी का सायल एवं गैरसायलान् के बीच आज दिन तक बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा नही हो रखा है, उक्त विवादित आराजी की प्रत्येक इंच व हिस्से पर सायल का कब्जा काश्त रहा है तथा उक्त सम्पति सायल की पैतृक पुश्तैनी सम्पति है तथा सायल एवं गैरसायल संख्या एक व दो को बतौर उतराधिकारी के प्राप्त हुई है तथा मौके पर सायल काबिज होकर काश्त कर रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से सायल को अपने हक, हिस्से की भूमि को उपजाउ बनाने एवं उन्नत तरीके से काश्त करने हेतु बैंक से ऋण लेने एवं के0सी0सी0 बनाने व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का व बंटवाडा का वादपत्र श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। सायल ने गैरसायलान् को. दिनांक 25/05/2017 को उक्त विवादित आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने बाबत् कहा तो गैरसायलान् ने कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने से स्पष्ट इन्कार कर दिया तथा सामलाती भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि करने एवं सायल को उनके हक हिस्से बंट की भूमि से बेदखल करने की भी ऐलानिया धमकी दी यदि गैरसायलान् बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन आदि कर देते है एवं सायल को उनके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा एवं सायल गैरसायलान् को ऐसा हरगिज नही करने देगे तथा मौके पर लडाई झगडा टन्टा फसाद होगा जिससे मल्टी प्लीसिटी अ0फ प्रोसिडिंग्स् होगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे सायल के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान् के सादर प्रस्तुत है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात तथा सायल का मौके पर अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हर दृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त [illegible] किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है या उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखलकर देते है तो सायल को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं सायस अपने खातेदारी काश्तकारी साम्पेतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगा तथा विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र के

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

संख्या एक मे वर्णित आराजी सायलगण अपने हिस्से की आराजी मे काश्त के मुतालिक कुल कार्य खडाई, बुवाई, कटाई आदि करे तो उसमे गैरसायलान् उनके बाल बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे एवं जब तक उक्त आराजी का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त आराजी को किसी अन्य अजनबी केता को बेचान नही करे तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा मौके की स्थिति मे कोई रद्धोबदल नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें। प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता जो सायलगण प्राप्त करने के अधिकारी हो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 02 की और से वकालतनामा पेश हुआ। गैरसायलान् संख्या 01 बावजूद प्रार्थना पत्र सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान् संख्या 02 का जवाब प्रा0पत्र पेश करनें के अनेकानेक अवसर देनें के बावजूद पेश नहीं करनें से जवाब प्रा0पत्र बन्द किया जाता है।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1312 रकबा 03–09 बीघा व ख0न0 1335/2 रकबा 20–02 बीघा के कानूनन बंटवाड़े बाबत् वादपत्र न्यायालय हाजा में पेश किया जो जैरकार है। भू अभिलेख जमाबन्दी ग्राम सेवरिया सम्वत् 2073–2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पन्नेसिंह, राजेन्द्र व पुखराज पि0 रामचन्द्र के नाम सहखातेदारी में दर्ज हैं। वादी/प्रार्थी अपने हक हिस्से तक कानूनन बंटवाड़ा करवानें का अधिकारी होता है। लिहाजा प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में स्थापित होता है।

(02) सुविधा का संतुलनः– चूंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी में बतौर सहखातेदार दर्ज हैं अतः वादग्रस्त आराजी में अपने अपने हक–हिस्से तक सुविधा का सतुंलन प्रार्थी के पक्ष में होनें से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(03) अपूर्णनीय क्षतिः– चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में [illegible] हुये तथा वादग्रस्त आराजी को वाद के निस्तारण तक [illegible] तो हस्तान्तरण आदि से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निहित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा सेवरिया, पटवार हल्का सेवरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील- जैतारण, जिला पाली में सायल एवं गैरसायलान की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1312 रकबा 03-09 बीघा व खसरा नम्बर 1335/2 रकबा 20-02 बीघा किस्म बारानी दोयम को रहन बैचान हस्तान्तरण न करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:40:02 IST
Reason: SelfAttested